न्यायालय अपील अधिकारी (जिला कलक्टर) सीकर

पीठासीन अधिकारी, सी.आर. मीना आई.ए.एस.

पत्रावली संख्याः 28/2019/प्रथम अपील

चैतन्य कुमार मीणा, मौहल्ला कुसुमपुरा, वार्ड नम्बर 06, अजीतगढ़, जिला सीकर (राजस्थान) –332701।

अपीलान्ट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) सीकर।

रेस्पोडेन्ट

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–19 के अन्तर्गत प्रथम अपील

निर्णय

दिनांकः 11 सितम्बर, 2019

1. यह अपील अपीलार्थी **चैतन्य कुमार मीणा** द्वारा लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) सीकर से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र के अनुसार चाही गयी सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं करवाने पर पेश की गई है।

2. अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अपीलार्थी को सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। लोक सूचना अधिकारी से अपील के संबंध में तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई।

3. आवेदक द्वारा अपने आवेदन दिनांक 10.06.2019 द्वारा निम्नलिखित सूचनाएं चाही गई हैं :–

   (1) पंचायतराज चुनाव 2010 में सीकर जिला परिषद के वर्ष 2010 में हुए चुनाव में सीकर जिला परिषद वार्ड संख्या 20 से कितने आवेदन दाखिल हुए तथा कितने रद्द, नाम वापस एवं कितने उम्मीदवार चुनाव लड़े कि सत्यापित जानकी प्रदान करें।

   (2) पंचायतराज चुनाव 2010 में सीकर जिला परिषद के वर्ष 2010 में हुए चुनाव में सीकर जिला परिषद वार्ड संख्या 20 से दाखिल समस्त नामांकन पत्रों की सत्यापित छायाप्रति उपलब्ध करवाएं।

   (3) अगर आवेदन आपके विभाग/कार्यालय से सम्बन्धित नहीं है तो आरटीआई एक्ट की धारा 6(3) के अन्तर्गत सम्बन्धित विभाग/कार्यालय को 05 दिवस में अंतरित करके सूचित करें।

4. सुनवाई के लिए नियत तिथि को अपीलार्थी अनुपस्थित।

जिला कलक्टर, सीकर

Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

5. रेस्पोडेन्ट द्वारा अपने पत्र दिनांक **28.08.2019** द्वारा अवगत करवाया गया है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 10.06.2019 की सूचना निर्वाचन शाखा के पत्र दिनांक 21.06.2019 द्वारा नकल शुल्क 120/– रूपये जमा करवाने हेतु लिखा गया था। अपीलार्थी द्वारा नकल शुल्क जमा नहीं करवाने पर सूचना उपलब्ध नहीं करवायी गई। अतः अपीलोत्तर रिकॉर्ड पर लिया जाकर अपील खारिज करने का श्रम फरमावें।

6. हमने पत्रावली का बगौर अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा अपने आवेदन में पैरा 3 के अनुसार सूचना चाही गयी। लोक सूचना अधिकारी द्वारा चाही गई सूचना, उपलब्ध करवाने हेतु अपने पत्र दिनांक 21.06.2019 से अपीलार्थी को कुल पृष्ठ 60 दो रूपये प्रति पृष्ठ के हिसाब से नकल शुल्क 120/– रूपये राजकोष में जमा करवाने हेतु लिखा गया है। अपीलार्थी द्वारा शुल्क जमा करवाने का कोई साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया गया है। अतः लोक सूचना अधिकारी का प्रत्युतर समुचित है।

7. उक्त वर्णित स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए अपील अपीलांट **खारिज** की जाती है। निर्णय की प्रति उभय पक्षकारों को प्रेषित हो।

8. उक्त आदेश के विरुद्व, द्वितीय अपील माननीय राजस्थान सूचना आयोग झालाना लिंक रोड,ओ.टी.एस. चौराहा जे.एल.एन.मार्ग जयपुर में 90 दिवस में की जा सकती है।

(सी.आर. मीना)
अपील अधिकारी,
जिला कलक्टर, सीकर
जिला कलक्टर, सीकर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner